(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम इन्द्रा

मोतियाँ बनाम गोपाराम

251A रा.का.का. नं.

सन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/9/2022 निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं. 275, रकबा 4.0954 है. में आवागमन हेतु खसरा सं. 270 रकबा 2.4767 में से रास्ते की माँग की है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु खसरा सं. 270 में होकर कदीमी रास्ता चलता है परंतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना होने से अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया जाता है। प्रार्थीगण के कथन अनुसार खसरा सं. 270 में से माँग किये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को प्रस्तुत

हुक्म या अहलकार की सही और हुक्म की तामील में जारी हुए

नक्शा नजरी में दर्शाये गये बिन्दु "ए" से "बी" तक रास्ता दिया जाने का आदेश करावें।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में ख़सरा नं. 210 में किसी प्रकार का आवागमन प्रार्थीगण द्वारा नहीं होना बताया। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन पेश किया गया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

भू.अ.नि. से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के अवलोकन एवम् बहस पर विवेचन के पश्चात धारा 251A रा.का.का. की मंशा के अनुसार संबंधित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ।

Scanned with OKEN Scanner

1. **वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता :-** भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवम् प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को स्वयं के खसरा नं. 275 में आवागमन हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

2. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :**
भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा सं. 275 से लगते हुए खसरा नं. 268 को दर्शाया गया है। खसरा नं. 268, किस्म गैर मु. गोचर, राजकीय भूमि है। खसरा नं. 268 सड़क से लगता है। प्रार्थीगण द्वारा आवागमन हेतु इस खसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता ना होकर मात्र सुलभ आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित नहीं।

3. नक्शा / निरीक्षण रिपोर्ट व आवेदित

निरीक्षण रिपोर्ट एवं आवेदित रास्ता के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता का हो कर उनका प्रमाणित नहीं होता नहीं है।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त

विवेचन के पश्चात न्यायालय का मानना है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता ना होकर मात्र आवागमन को सुगम करवाने बाबत रास्ता चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 251A की मंशा उस प्रकार की नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित आधार पर खारिज किया जाता है।

ा.मु.जो.